

प्रेषिका,

नीतू यादव,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
न्याय.कक्ष संख्या-03, बुलन्दशहर।
आई0डी0 नम्बर-यू.पी.06381

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।

पत्रांक:

329 / II

दिनांक: 07-09-2024

विषय:

National Pension System/New Pension Scheme से Old Pension Scheme में शामिल होने हेतु पुनः आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या- 9691/IV-F-82(Pension)/Admin- (A) Dated: July 16, 2024 के माध्यम से National Pension System/New Pension Scheme को Old Pension Scheme में परिवर्तित किए जाने हेतु E-Services JO पोर्टल पर आनलाइन व भौतिक रूप से आवेदन आहूत किए गए हैं।

महोदय, सादर अवगत करना है कि मुझ अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.08.2024 को E-Services JO पोर्टल पर ऑनलाइन व भौतिक रूप से आवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु प्रार्थिनी के विकल्प पत्र पर कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति नहीं थी। माननीय महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या- 11718/IV-F-82 (Pension)/Admin. (A) Dated: 31-08-2024 के माध्यम से जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा विकल्प पत्र बिना कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति के प्रेषित कर दिए गए हैं, उन आवेदनकर्ताओं से पुनः आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित आहूत किए गए हैं।

महोदय, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा पुनः आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है। उक्त आवेदन पत्र मय विकल्प पत्र, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ E-Services JO पोर्टल पर भी प्रेषित किया जा चुका है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि प्रस्तुत पत्र के साथ संलग्न National Pension System/New Pension Scheme से Old Pension Scheme में शामिल होने हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें।

आदर सहित।

भवदीया

दिनांक-07.09.2024

संलग्न-आवेदनपत्र व विकल्प-पत्र

N. Yadav
(नीतू यादव), 07.09.2024

अपर प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय,

न्याय.कक्ष सं0-03, बुलन्दशहर,

जे0ओ0कोड-यू.पी.06381

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर,

पत्रांक

329 / II

बुलन्दशहर,

दिनांक: 07 सितम्बर, 2024

माननीय महा निबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

सादर अग्रसारित।

प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।

N. Yadav
07-09-24
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
बुलन्दशहर

प्रेषिका,

श्रीमती नीतू यादव,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
न्याय कक्ष संख्या-03, बुलन्दशहर।
आई०डी० नम्बर-यू.पी. 6381

सेवा में.

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।

विषय:

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9691/IV-F-82 (Pension)/Admin (A) Dated 16 July, 2024 तथा शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/X-2024/301(1)2024 दिनांकित 28 जून, 2024 एवं सहपठित शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/X-2024/301(1)/2024 दिनांकित 11.07.2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प का चयन करने के सम्बन्ध में:-

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या 2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी.1) से हुई थी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त के अनुक्रम में दिनांक 17.06.2006 को जनपद बुलन्दशहर में अपर सिविल जज (अवर खण्ड) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। अधोहस्ताक्षरी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापन संख्या ए-2/ई-1/2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/X-2024/301(1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 एवं सहपठित शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/X-2024/301 (1)/2024 दिनांकित 11.07.2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आछादित है तथा अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करती है।

अतः अधोहस्ताक्षरी शासनादेश संख्या 14-2024-सा-3-243/X-2024/301(1) 2024, दिनांकित 28 जून, 2024 एवं सपठित शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/X-2024/301(1)/2024 दिनांकित 11.07.2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु प्रेषित कर रही है। तदक्रम में माननीय महोदय से निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीया

संलग्न-विकल्प-पत्र


(श्रीमती नीतू यादव),

अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
न्याय. कक्ष सं०-03, बुलन्दशहर।
जे०ओ० कोड-यू.पी.6381

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।

पत्राक

329 | 11

बुलन्दशहर,

दिनांक: 07-09-2024

माननीय महा निबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

सादर अग्रसारित।


07-09-24

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।

शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1) 2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024
के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र

विकल्प-पत्र

01. नाम-	श्रीमती नीतू यादव, आई०डी० नम्बर-यूपी 6381
02. वर्तमान पदनाम-	अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।
03. वेतनमान-	J 5-1, 44, 840-1, 94, 660
04. वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग / उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा
05. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-	लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
06. विज्ञप्ति की तिथि-	15 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
07. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-	26 मई, 2006 (उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4 विज्ञप्ति संख्या-संख्या 2430/ दो-4-06-32 (1)2001 टी.सी. 1)
08. योगदान की तिथि-	17.06.2006
09. जन्म तिथि-	26.06.1980
सेवानिवृत्ति की तिथि-	30.06.2040

में श्रीमती नीतू यादव पुत्री श्री चन्द्रपाल सिंह पत्नी श्री विनीत कुमार शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर-

नाम- (श्रीमती नीतू यादव)
पदनाम-अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।
जे०ओ०कोड-यूपी.6381

घोषणा-पत्र

में श्रीमती नीतू यादव, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त कम संख्या 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम- (श्रीमती नीतू यादव)
पदनाम-अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।
जे०ओ०कोड-यूपी.6381

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्रीमती नीतू यादव, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
बुलन्दशहर